पत्रिका

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पाया- कलेक्टर को बीईओ पर कार्रवाई का अधिकार नहीं

अधिकृत अधिकारी ही कर सकता है कार्रवाई, बस्तर कलेक्टर का आदेश निरस्त

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया कि नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अधिकृत अधिकारी ही अनुशासनात्मक अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने इस आधार पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ)के खिलाफ कलेक्टर द्वारा पारित निलंबन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह आदेश ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था जिसे कार्रवाई का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

खंडपीठ ने कहा कि चूंकि कलेक्टर नियुक्तिकर्ता अथवा अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं थे, इसलिए उनका पारित किया गया आदेश अधिकार क्षेत्र से परे और अवैध था। प्रकरण के अनुसार मानसिंह भारद्वाज श्रेणी-2 के राजपत्रित अधिकारी हैं, जिनका मूल पद प्राचार्य का है और वे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर के रूप में कार्यरत थे। 6 जून 2025 को जिला स्तर युक्तियुक्तकरण समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर, बस्तर ने उन पर शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन और गलत जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर निलंबन आदेश पारित कर दिया। भारद्वाज ने उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे एकल पीठ द्वारा 4 जुलाई 2025 को खारिज कर दिया गया।

विसंगतिपूर्ण और बिना अधिकार कार्रवाई

अपील में बीईओ ने कहा कि नियम 9(1) के अनुसार केवल नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, उससे उच्च प्राधिकारी, या राज्यपाल द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी ही उनका निलंबन आदेश पारित कर सकता है। नियुक्तिकर्ता सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग हैं और केवल संभागायुक्त को 4 अगस्त 2008 की अधिसूचना अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है।निलंबन आदेश में विभागीय कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही कोई कारण बताने का अवसर प्रदान किया गया। यह आदेश स्वयं कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं था।

4 बच्चों की डूबने से मौत, परिजनों को मिला 4-4 लाख रुपए मुआवजा

मुख्य सचिव ने शपथपत्र में कोर्ट को दी जानकारी

बिलासपुर. हाइकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले में तालाब में नहाने गए भाई-बहन समेत 4 बच्चों की डूबने से हुई मौत के मामले को संज्ञान में लिया है। मुख्य सचिव से शपथपत्र पर जवाब मांगा गया था। सचिव ने जवाब में कहा है कि मृत बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही व्यवस्था की जा रही है कि इस तरह की दुर्घटना फिर से ना हो। जांजगीर-चांपा जिले में स्कूल से लौटते वक्त तालाब में नहाने गए भाई बहन समेत 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी। घटना बलोदा थाना क्षेत्र के भैंसतरा गांव की थी।चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और बिभु दत्त गुरु की बेंच में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हुई। जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कितनी गलत बात है, कि स्कूल से लौटते वक्त 4 बच्चे पानी में डूब जाते हैं। यह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे सुरक्षित घर पहुंचे। वही कांकेर में प्रकाशित एक अन्य खबर पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है जिसमें स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालते हुए नाला पार कर स्कूल जाने की मजबूरी की जानकारी दी गई थी। कांकेर के मामले में सरकार ने कहा कि पुलिया बनाने का प्रस्ताव बना लिया गया है और जल्द ही पुलिया बना ली जाएगी।

30/07/2025 | Raipur City | Page : 8
Source : https://epaper.patrika.com/